संख्या–634 / 9–3–11–243(1)सी / 97

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनॉक 12 अप्रैल, 2011

विषयः–उ0प्र0 जल निगम में दिनॉक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं कार्य प्रभारित कार्मिकों को विनियमित किये जाने हेतु अधिसंख्य पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2063/10–54(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 08 सितम्बर, 2010 के अनुक्रम में उ0प्र0 जल निगम में दिनॉक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं कार्यप्रभारित कार्मिकों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विनियमितीकरण के फलस्वरूप आने वाला वित्तीय व्यय–भार उ0प्र0 जल निगम द्वारा वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता देय नहीं होगी।

2– तद्क्रम में आपके पत्रांक–07/अ–4/191–0034/11, दिनॉक 11–2–2011 एवं पत्रांक–10/अ–4–2/101–0034/11, दिनॉक 12–3–11 में प्राप्त प्रस्तावानुसार उ0प्र0 जल निगम में दिनॉक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं कार्य प्रभारित कार्मिकों को विनियमित किये जाने हेतु, इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–'क' एवं 'ख' में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के कमशः 3134 (तीन हजार एक सौ चौतीस) तथा 1007 (एक हजार सात) कुल–4141 (चार हजार एक सौ इक्तालिस) अधिसंख्य पदों को, उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से, दिनॉक 28–02–2012 तक के लिए यदि इससे पूर्व ही यह पद बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त सृजित अधिसंख्य पद पर होने वाला समस्त व्यय भार उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता देय नहीं होगी।

क्रमशः–2

(2) उक्त अधिसंख्य पद के धारक द्वारा किसी अन्य विभाग में जाने, छोड़ने, मृत्यु होने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने के पश्[illegible] उक्त अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(3) भविष्य में इन पद के धारकों का समायोजन संवर्ग में होने वाले रि[illegible] पदों के विरूद्ध किया जाता रहेगा और उतनी ही संख्या में अधिसं[illegible] पद स्वतः समाप्त होते जायेगें।

(4) यह कि भविष्य में उ0प्र0 जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी [illegible] पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) नियुक्ति नहीं [illegible] जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध [illegible] यथावश्यकता केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाये परन्तु उक्त व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों [illegible] अश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत समूह–''घ'' के पदों [illegible] की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई- [illegible]016 / दस– दिनॉक 08 अप्रैल, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–634(1) / 9–3–11–243(1)सी / 97 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 / वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
6– सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 / 2
7– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जी0सी0 कटेरिया)
उप सचिव।